

सं० सं० 14/एम 11-2/14
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 11.3.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि |
|---------|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | तेतरी देवी पति-कल्लर पासवान ग्राम-लालपुर पोस्ट-मुरादपुर थाना-रोसड़ा जिला-समस्तीपुर सी.आर नं०-80014/14 | कैंसर रोग | अंतिम बार ₹ 10,000/- (दस हजार) स्वीकृत। |
| 2 | शालीग्राम मंडल पिता-उदेश्वर मंडल ग्राम-पो०-नया गांव थाना-बौंसी, जिला-बांका सी.आर नं०-112856/14 | कैंसर रोग | ₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत। |
| 3 | रघुनाथ प्रसाद पिता-स्व. राम लाल महतो ग्राम-बरीठ, पोस्ट-मैरा बरीठ थाना-कतरी सराय जिला-नालंदा सी.आर नं०-5954/15 | कैंसर रोग | ₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत। |
| 4 | नरेश कुमार वर्मा पिता-स्व. केदार नाथ वर्मा मोहल्ला-जमाल रोड पटना-1 पंजीकरण सं०-076184/14 | कैंसर रोग | दूसरी बार ₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत। |
| 5 | राम दुलारी देवी पति-जीवछ यादव ग्राम-शीवपुर पोस्ट-बैरामपुर थाना-बेरौल जिला-दरभंगा सी.आर.नं०-97734/14 | कैंसर रोग | ₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत। |

| | | | |
|----|---|-----------|--|
| 6 | सुदामी देवी पति-तोख राज चौधरी ग्राम-विनोद खरेया पोस्ट-सोनहुला थाना-गोपालपुर जिला-गोपालगंज सी.आर नं0-126366 / 14 | कैंसर रोग | ₹ 20,000 / - (बीस हजार) स्वीकृत । |
| 7 | मनीष कुमार पिता-रामाशीष तांती ग्राम-सुशीलनगर पोस्ट-सीधौल थाना-जिला-बेगुसराय सी.आर नं0-18782 / 14 | कैंसर रोग | अंतिम बार ₹ 10,000 / - (दस हजार) स्वीकृत । |
| 8 | चन्द्रदेव यादव पिता-राघव यादव ग्राम-रामपुर पोस्ट-सगांव थाना-मखदुमपुर जिला-जहानाबाद सी.आर नं0-18093 / 15 | कैंसर रोग | ₹ 20,000 / - (बीस हजार) स्वीकृत । |
| 9 | संगीता कुमारी पति-उपेन्द्र कुमार यादव ग्राम-पानापुर सुखानन्द पोस्ट-ममरेजपुर थाना-विदुपुर जिला-वैशाली सी.आर नं0-15985 / 15 | कैंसर रोग | ₹ 20,000 / - (बीस हजार) स्वीकृत । |
| 10 | मिन्ता देवी पति-राज कुमार यादव ग्राम-कलामनचक पोस्ट-केउरा जिला-पटना पंजीकरण सं0-118824 / 14 | कैंसर रोग | दूसरी बार ₹ 20,000 / - (बीस हजार) स्वीकृत । |
| 11 | कुन्ती देवी पति-महेन्द्र पासवान ग्राम-सैदपुर घाट पोस्ट-थाना-रुन्नी सैदपुर जिला-सीतामढ़ी सी.आर नं0-18834 / 15 | कैंसर रोग | ₹ 20,000 / - (बीस हजार) स्वीकृत । |
| 12 | रमानन्द दास पिता-जगदीश दास ग्राम-भखरी सुल्तान पोस्ट-भखरी दोआ थाना गोरौल जिला-वैशाली सी.आर नं0-124841 / 14 | कैंसर रोग | ₹ 20,000 / - (बीस हजार) स्वीकृत । |

| | | | |
|----|---|-----------|--|
| 13 | सलहरी देवी पति-सुदीश मांझी ग्राम+पो0-चीरांद थाना-डोरीगंज जिला-सारण, छपरा पंजीकरण नं0-027556 / 14 | कैंसर रोग | दूसरी बार ₹ 20,000 / -(बीस हजार) स्वीकृत। |
| 14 | सुनीता कुमारी पिता-चुरामन यादव ग्राम-काहुदाग टोला, निमीया टांड पोस्ट+थाना-बाराचट्टी जिला-गया पंजीकरण सं0-099185 / 14 | कैंसर रोग | दूसरी बार ₹ 20,000 / -(बीस हजार) स्वीकृत। |
| 15 | लालचुनी देवी पति-शिवधन महतो ग्राम+पो0+थाना-मझौलीया जिला-प0 चम्पारण सी.आर नं0-51415 / 14 | कैंसर रोग | ₹ 20,000 / -(बीस हजार) स्वीकृत। |
| 16 | उषा देवी पति-गिरजा मिस्त्री ग्राम+पो0-सैदाबाद थाना-विक्रम जिला-पटना सी.आर नं0-8110 / 15 | कैंसर रोग | ₹ 20,000 / -(बीस हजार) स्वीकृत। |
| 17 | सोना देवी पति-जनार्दन साह ग्राम-अमेहता पो0-बड़हरी थाना-कोंचस जिला-रोहतास सी.आर नं0-20686 / 15 | कैंसर रोग | ₹ 20,000 / -(बीस हजार) स्वीकृत। |
| 18 | गंगा प्रसाद यादव पिता-स्व0 मिश्री लाल यादव ग्राम-बेलगछी पोस्ट-धर्मगंज थाना-पलासी जिला-अररिया सी.आर नं0-77280 / 13 | कैंसर रोग | दूसरी बार ₹ 20,000 / -(बीस हजार) |
| | | | ₹ 3,40,000 / - |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,40,000 / -(तीन लाख चालीस हजार) मात्र का क्रास चेक सं0.....

...849916..... मूल रूप में संलग्न है।

3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
5. प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि आपके संस्थान को अनुदान की स्वीकृत राशि एवं स्वीकृत्यादेश ससमय उपलब्ध हो जाती है। यह एक कल्याणकारी योजना है, परंतु आपके संस्थान से मरीजों द्वारा स्वीकृत्यादेश की प्रति मांगी जाती है, जो कि अनावश्यक है। यह चिन्ता का विषय है।

चूंकि मरीज आपके संस्थान में ही चिकित्सारत है, इसलिए रोगी का नाम पता एवं पंजीकरण सं० मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ की जा सकती है। इसके लिए अनावश्यक विलंब का कोई औचित्य

नहीं है। आपके यहां प्राप्त स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय, जिससे मरीजों को जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो।


कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन
ह०/-
(डा० राजधारी रंजन)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 324(14)

पटना, दिनांक 19-3-15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/
आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
18.03.15

